न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
[illegible]	20.06.2017	13/12/2023

उनवान

01. [illegible] एवं [illegible] पुत्र श्री अमीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———— वादी

बनाम

01. [illegible]
02. रामनिवास पुत्रान श्री अमीलाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)।
03. [illegible]चन्द पुत्र श्री मामचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. भूमिधारी तहसीलदार साहब तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूसती इन्द्राज, तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–:: संशोधित निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूसती इन्द्राज, तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 192/1–14 बीघा वाके ग्राम रामनगर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जिसका हाल खसरा नम्बर 287/1–07 (0.34 है0), 286/1–17 (0.47 है0) बना है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 192/1–14 बीघा जो कि मंगलिया, चन्दर पुत्रान श्री बुद्वा जाति अहीरान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वह काबिज वो दाखिल थे। जिन्होने विवादित आराजी को मिन वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.09.76 को विक्रय कर दी और वक्त खरीद आराजी से मिन वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 काबिज वो दाखिल चले आ रहे है मौका पर वादी एवं प्रतिवादीगण का इसी प्रकार कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी पर मिन वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण शामलात में ही काबिज है वक्त सेटिलमेन्ट संवत् 2029 में सेटिलमेन्ट के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने नई जमाबन्दी तैयार करते समय आराजी हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 1–07 बीघा सालम व 286 रकबा 1–07 में से 0–07 बिस्वा मिलाकर कायम कर दिया और खसरा नम्बर 287 तो सही तौर पर खातेदारों के नाम का अंकन कर

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

गया लेकिन खसरा नम्बर 286 में 0-07 बिस्वा की बाबत मृतक उदाराम पुत्र रोशनलाल के नाम गलत तौर से इन्द्राज कर दिया जिस बाबत इन्द्राज की पुनरावृति राजस्व कर्मचारियों रिकार्ड में करते रहे मृतक उदाराम के वारिसान के नाम भी राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो गया उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्ती के लिए प्रतिवादी नं0 1 व 2 के एक राजस्व वाद 1/45 दिनांक 08.01.86 को बअनुवान ओमकार बनाम फकीरू के नाम से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ बास के यहां दायर किया जिसमें मिन वादी को तरतीबी प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया था क्यो कि मिन वादी भारतीय सेना में नोकरी करता था जिस कारण मिन वादी को वाद में तर0 प्रतिवादी की जद मे पक्षकार बनाया गया, लेकिन वाद में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के हक हकूक हित समान ही थे और उक्त वाद न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 26.11.1987 को डिकी कर दिया लेकिन निर्णय में त्रूटीवश यह आदेश तो पारित कर दिया कि डिकी इश्तकरारहक खसरा नम्बर 287/1-07, 286/1-17 बीघा 07 बिस्वा रकबा वादी के हक में करार दिया जाता है तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम इन्दाज दुरूस्त हो और वाद रिलीफ के अनुसार प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें, तदअनुसार पर्चा डिकी जारी हो परन्तु भूलवंश यह अंकन करना छोड दिया कि तरतीबी प्रतिवादी का भी नाम मुताबिक वाद पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें जबकि उक्त वाद संख्या 445/86 मेंवाद पत्र में जो दस्तावेज बयनामा इत्यादि पेश किया गया था उसमें मिन प्रार्थी/वादी को तर0 प्रतिवादी का नाम है एवं वाद में भी इस बात का उल्लेख किया था और मौका पर भी वादी का वास्तविक कब्जा काश्त है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 26.11.1987 को डिकी कर दिया लेकिन निर्णय में त्रूटीवंश यह आदेश तो पारित कर दिया कि डिकी इश्तकरारहक खसरा नम्बर 287/1-07, 286/1-17 बीघा 07 बिस्वा रकबा वादी के हक में करार दिया जाता है तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम इन्द्राज दुरूस्त हो, तदअनुसार पर्चा डिकी जारी हो परन्तु भूलवंश यह अंकन करना छोड दिया कि तरतीबी प्रतिवादी का भी नाम मुताबिक वाद पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें इस त्रूटीपूर्ण आदेश का इंतकाल संख्या 510 भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में दर्ज वो मंजूर हो गया जिसका अमल भी अब बदस्तूर लगातार राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जो इन्द्राज वादी के हिस्से तक बातिल वो बेअसर है काबिले मन्सुख है जिससे वादी कतई पाबन्द नहीं है, विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 192मे वादी का 1/3 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है जो विवादित आराजी से प्रतिवादी नं0 1 व 2 के गलत नाम सालम हिस्से के इन्द्राज को दुरूस्त कराकर स्वयं को विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा खातेदार का काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका मिन वादी एवं प्रतिवादीगण ने आज तक कोई लिखित या मौखिक बंटवारा नहीं किया है विवादित आराजी पर शामलात में ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज वो दाखिल चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादीगण जो कि मिन वादी की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी में आये रोज मजाहमत पैदा करते है और वादी को फसल बोने व दरों करने में रूकावट पैदा करते है जिससे मिन वादी का अब शामलात में काश्त करना कतई दुभर हो गया है इसलिये वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अपना तकासमा कराकर खाता व लगान अलग कराने के अधिकारी है और अपने वास्तविक हिस्से पर दखल प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित होकर अपना इकवाल जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित रहे उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत राजीनामानुसार प्रकरण डिक्री कर दिया जाये तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकील वादी पर मनन किया। प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम रामनगर तहसील तिजारा जिला अलवर पर वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.47 है0 में से 0.09 है0 पर वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)